राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी

संस्था का ज्ञापन
तथा
नियम और विनियम

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली 110 001

सोसाइटी पंजीकरण प्रमाणपत्र 1860 का अधिनियम XXI

1975 की संख्या एस/7898

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अधीन तारीख ..... को पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाणपत्र मेरे हस्ताक्षर से 11 दिसंबर 1975 को नई दिल्ली में जारी किया गया। पंजीकरण शुल्क के रूप में 50/- रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

ह0/-
सोसाइटी रजिस्ट्रार
दिल्ली प्रशासन
नई दिल्ली

विषय सूची

संस्था का ज्ञापन 1

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी
के नियम और विनियम 10

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी

1860 के अधिनियम XXI के विषय में जो कि साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा धर्मार्थ सोसाइटीयों के पंजीकरण से संबंधित है और 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी' के विषय में।

संस्था का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी होगा (जिसे इसके बाद में "सोसाइटी" कहा गया है)

2. इस समय सोसाइटी का कार्यालय बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली में स्थित है। यह कार्यालय, सोसाइटी के निर्णय के अनुसार, नई दिल्ली में या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के किसी भी स्थान में स्थित होगा।

3. जिन उद्देश्यों के लिए सोसाइटी स्थापित की गई है, वे इस प्रकार हैं:

   (i) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व एशियन थिएटर संस्थान का प्रशासन एवं प्रबंधन उसकी सभी आस्तियों सहित, चाहे वे किसी भी स्वरूप की हों, ग्रहण करना और संगीत नाटक अकादमी, जिसे भारत सरकार ने दिनांक 31.5.52 के संकल्प द्वारा स्वायत्त संगठन के रूप में गठित किया है, से सभी देयताओं को ग्रहण करना तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित करना और अभिनय, निर्देशन, रंगमंच तकनीक व प्रबंधन, रेडियो, टेलीविजिन, बाल थिएटर व आलेखन क्षेत्र में अध्ययन एवं नाट्य-कला के लिए उक्त विद्यालय का अनुरक्षण व विकास करना।

   (ii) भारत में उच्च स्तर की नाट्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर नाटक (ड्रामा) की सभी विधाओं के अध्यापन के उपयुक्त पैटर्न विकसित करना और इस प्रयोजन के लिए महाविद्यालयों, संस्थाओं व विश्वविद्यालयों से संपर्क व संबंध स्थापित करना।

   (iii) भारतीय नाटकों के तकनीकी स्तर को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास

करना ताकि उन्हें कलापरकता की दृष्टि से अधिक संतोषजनक और स्वीकार्य बनाया जा सके।

(iv) स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नाटक और उसके संबंधित विषयों की कला व कौशल के अध्यापन के लिए व्यवस्था करना जिससे नाटक का विकास तथा नाटक के क्षेत्र में देश की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित कर्मियों व अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(v) भारत तथा विदेश में शास्त्रीय, पारंपरिक व आधुनिक नाटक के क्षेत्र में अनुसंधान करना व अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना और नाटक प्रस्तुति व शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री एवं विधाओं का संग्रह करना।

(vi) अल्पकालिक व पुनश्चर्या पाठ्क्रम, अवकाशकालीन पाठ्यक्रम और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना और व्याख्यान देने तथा/अथवा अनुसंधान कार्य विकसित करने के लिए देश व विदेश से विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना और उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक देना।

(vii) नाटक और प्रदर्शन कला से संबंधित व्याख्यानों, संगोष्ठियों, परिचर्चा, बैठकों, सम्मेलनों व प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना।

(viii) रैपट्री (नटाती) कंपनी या उसकी शाखाएँ, क्षेत्रीय विद्यालय, विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना और करवाना तथा देश में नाट्य कला का उन्नयन करना व उसके लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(ix) प्रशिक्षण के भाग के रूप में तथा विद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए नाटकों की प्रस्तुति, निर्देशन और जनता के समक्ष उनका प्रदर्शन।

(x) नाटकों में सहायता करने, निर्देशन करने व उनका निर्माण करने, प्रदर्शनियाँ आयोजित करने और अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए देश व विदेश से अभिनेताओं, निर्देशकों, नाटककारों, तकनीशियनों को आमंत्रित करना।

(xi) नाटक प्रस्तुति के लिए उपयुक्त हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से भारतीय और विदेशी भाषाओं में, इसके विपरीत भारतीय व विदेशी भाषाओं से हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नाटक का अनुवाद व प्रकाशन।

(xii) फीस व अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना व उन्हें प्राप्त करना।

(xiii) परीक्षाएं आयोजित करना और डिप्लोमा, प्रमाणपत्र व अन्य शैक्षिक उपाधियां या खिताब प्रदान करना।

(xiv) नाटक संबंधी अध्ययनों व अनुसंधान में रुचि बढ़ाने के लिए अध्येतावृत्ति (फेलोशिप), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक, वित्तीय और अन्य सहायता की व्यवस्था करना व इन्हें प्रदान करना।

(xv) नाटक व प्रदर्शन कला के क्षेत्र में संगत पुस्तकों, पुस्तिकाओं, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, माइक्रोफिल्मों, स्थिर (स्टिल) फोटोग्राफ, चल चित्रों, ध्वनि मुद्रण (साउंड रिकार्डिंग) एवं प्रशिक्षण से संबद्ध अन्य पाठ्य सामग्री के पुस्तकालय की स्थापना करना तथा उनका रख-रखाव करना और ऐसी किसी पुस्तक, पत्रिका, मोनोग्राफ, पोस्टर, शोध पत्रों, फोटोग्राफ का मुद्रण, प्रकाशन एवं प्रदर्शन जिनमें विद्यालय और/या नाटक के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणामों का उल्लेख किया गया हो।

(xvi) सोसाइटी के लक्ष्यों व उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत या विदेश में इसी प्रकार के कार्यों से जुड़े ऐसे ही अन्य शैक्षिक निकायों, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी, के कार्यों में सहायता करना, उनसे सहयोग करना, संबद्ध होना।

(xvii) कार्मिकों और अनुसंधान सामग्री के आदान-प्रदान से भारत में तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक व शैक्षिक संपर्क को बढ़ावा देना जिससे विद्यार्थी व शोधकर्ता, संगोष्ठियों में भाग लेने तथा अध्ययन व अनुसंधान करने विदेश दौरे पर जा सकेंगे।

(xviii) अध्यापन, तकनीकी, अनुसंधान, प्रशासनिक, अनुसचिवीय व ऐसे अन्य पद सृजित व संस्थापित करना जो आवश्यक हों और उक्त

पदों पर सोसाइटी के नियमों व विनियमों के अनुसार नियुक्ति करना, परंतु जिन पदों का अधिकतम वेतन 2000 रुपए प्रति माह से अधिक हो उन्हें केवल केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सृजित किया जाएगा तथा भरा जाएगा।

(xix) विद्यार्थियों, विद्वानों आदि के आवास के लिए हॉल व छात्रावास बनाना, उनका अनुरक्षण तथा प्रबंध।

(xx) हॉल तथा छात्रावासों के आवासियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण और विद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन कायम रखना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण व सामूहिक हित का ध्यान रखने के लिए व्यवस्था करना।

(xxi) विद्यालय के कार्यकलापों को संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम व विनियम बनाना और समय-समय पर उनमें परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन करना या उन्हें निरस्त करना।

(xxii) सोसाइटी के प्रयोजन के लिए सरकार या अन्य व्यक्तियों या संगठनों से अनुदान, अभिदान, दान, उपहार, उत्तरदान, उपकार, चल व अचल दोनों ही संपत्तियों का अंतरण प्राप्त करना या स्वीकार करना।

(xxiii) ऐसी निधि बनाना जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी :

क) केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई संपूर्ण धन राशि।

ख) सोसाइटी द्वारा प्राप्त की गई संपूर्ण फीस व अन्य प्रभार।

ग) सोसाइटी द्वारा अनुदान, उपहार, दान, उपकार उत्तरदान या अंतरण या टिकटों की बिक्री से प्राप्त की गई संपूर्ण राशि।

घ) सोसाइटी द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई संपूर्ण राशि।

(xxiv) निधि में क्रेडिट की गई संपूर्ण राशि को सोसाइटी द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित

ढंग से बैंकों में जमा करना या सोसाइटी की इस प्रकार की धन राशि का निवेश व सौदा करना जो सोसाइटी के किसी उद्देश्य के लिए तत्काल अपेक्षित न हो।

(xxv) चेक, नोट्स व अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण, उन्हें बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना तथा डिस्काउन्ट और इस प्रयोजन के लिए ऐसे हस्तांतरण पत्रों व विलेखों पर हस्ताक्षर करना, उनका निष्पादन व परिदान करना जो सोसाइटी के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(xxvi) सोसाइटी द्वारा समय-समय पर किए गए व्यय, जिसमें सोसाइटी के गठन संबंधी और सभी प्रकार के किराए, दर, कर अन्य व्यय, कर्मचारियों के वेतन सहित पूर्वोक्त उद्देश्यों के प्रबंध व प्रशासन संबंधी प्रासंगिक व्यय शामिल है, का भुगतान सोसाइटी की निधि या उक्त निधि के किसी विशिष्ट भाग में से करना।

(xxvii) क) स्टाफ व अन्य कर्मचारियों या सोसाइटी के भूतपूर्व कर्मचारियों या उनकी पत्नी, संतान या अन्य आश्रितों को उपदान या धर्मार्थ सहायता देना।

ख) सोसाइटी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों या उनकी पत्नी, संतान या उक्त व्यक्तियों के अन्य संबंधियों या आश्रितों के हित के लिए बीमा संबंधी भुगतान करना और भविष्य निधि तथा हित लाभ निधि गठित करना व उसमें अंशदान देना।

ग) सोसाइटी के प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को किसी भी रीति से अर्जित करना, रखना, बंधक रखना या उसका निपटान करना परंतु अचल संपत्ति के अर्जन या निपटान के मामले में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

घ) सोसाइटी की या सोसाइटी में निहित किसी संपत्ति का सौदा सोसाइटी द्वारा विद्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए उचित समझी जाने वाली रीति से करना।

ङ) सोसाइटी के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन

से प्रतिभूति या प्रतिभूति के बिना या बधंक प्रभार या आडमान पर या सोसाइटी की किसी अचल संपत्ति को गिरवी रखकर या किसी भी अन्य रीति से धन राशि उधार लेना व जुटाना।

च) मकान, छात्रावास या अन्य भवनों का निर्माण व अनुरक्षण और किसी मौजूदा भवन में परिवर्तन, उसका विस्तार, सुधार, उनकी मरम्मत, परिवर्धन या रूपांतरण करना तथा उनमें बिजली, पानी जल निकास व्यवस्था, फर्नीचर व अन्य वस्तुएं ऐसे उपयोग के लिए उपलब्ध कराना जिसके लिए उक्त भवन बनाए गए हैं या सोसाइटी के उद्देश्यों के संबंध में लिए गए हैं।

छ) किसी भूमि, मनोरंजन या क्रीड़ा स्थल, पार्क और सोसाइटी की या उसके नियंत्रण में आने वाली किसी अन्य अचल संपत्ति का निर्माण या उसे अन्यथा अर्जित करना, उसका नक्शा बनाना, मरम्मत, विस्तार, परिवर्तन, परिवर्धन, सुधार तथा उपयोग करना।

(xxviii) सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथोचित समितियां या उप-समितियां गठित करना। सोसाइटी को शिक्षा परिषद्, समितियों या उप-समितियों के उचित संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तय करने और शिक्षा परिषद् तथा/या समितियों को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(xxix) उसके द्वारा गठित समितियों या उप-समितियों को कोई या सभी शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

(xxx) ऐसे सभी विधिपूर्ण कार्य करना, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषांगिक हों या न हों, जो अध्ययन/प्रशिक्षण व अनुसंधान विद्यालय के रूप में सोसाइटी के उद्देशयों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित हों।

4. सोसाइटी के उन प्राथमिक सदस्यों के नाम, पते व व्यवसाय का ब्योरा नीचे दिया गया है, जिन्हें सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा सोसाइटी के कार्यों का प्रबंध सौंपा गया है :

नाम	व्यवसाय	पता	हैसियत
श्री के. पी. एस. मेनन	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी	अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
श्री एस. एम. एच. बर्नी	सरकारी सेवा	सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	सरकारी सेवा	संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
श्री बलवंत गार्गी	सरकारी सेवा	अध्यक्ष, भारतीय थिएटर विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	सदस्य
श्री तपस सैन	स्वतंत्र पत्रकार	26-एच. नकतला लेन, कलकत्ता	सदस्य
श्री पी. सोमशेखरन	सेवा	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	सदस्य
श्री ई. अल्काजी	सेवा	निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाउस भगवानदास रोड नई दिल्ली	सदस्य सचिव

5. सोसाइटी के नियमों और विनियमों की प्रति, जिसे सोसाइटी के तीन सदस्यों ने सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया है, संस्था के ज्ञापन के साथ फाइल की जाती है।

हम कई व्यक्ति, जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं, संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अपने आप को सहयोजित करते हुए एतद्द्वारा इस संस्था ज्ञापन में अपने नाम शामिल करते हैं और इसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा 1860 के अधिनियम XXI के अधीन 11 दिसंबर, 1975 को सोसाइटी गठित करते हैं।

नाम	पता	हस्ताक्षर	अनुप्रमाणित
श्री के. पी. एस. मेनन	अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली	ह0/- के. पी. एस. मेनन	ह0/- (सुश्री) कमला नायर उप-शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली
श्री एस. एम. एच. बर्नी	सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	ह0/- एस.एम.एच.बर्नी	ह0/- आर.एन.मलिक उप-सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	संयुक्त शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	ह0/- डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	ह0/- जे. एम. गुगनानी, सहायक शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग, भारत सरकार
श्री बलवंत गार्गी	अध्यक्ष, भारतीय थिएटर विभाग, पंजाब विश्व-विद्यालय, चंडीगढ़	ह0/- बलवंत गार्गी	ह0/- जी. के. वर्मा प्राध्यापक, भारतीय थिएटर विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय

श्री तपत सेन	26 -एच, नकतला लेन कलकत्ता	ह0/- तपस सेन	ह0/- जे.एम.गुगनानी सहायक शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग भारत सरकार
श्री पी. सोमशेखरन	संगीत नाटक अकादमी रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली	ह0/- पी. सोमशेखरन	ह0/- जे. एम. गुगनानी सहायक शिक्षा सलाहकार संस्कृति विभाग, भारत सरकार
श्री ई. अल्काजी	निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहावलपुर हाउस नई दिल्ली	ह0/- ई. अल्काजी	ह0/- जे. एम. गुगनानी सहायक शिक्षा अधिकारी संस्कृति विभाग, भारत सरकार

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी
के
नियम तथा विनियम

1. **संक्षिप्त नाम**

इन नियमों तथा विनियमों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी के नियम तथा विनियम कहा जाएगा।

2. **परिभाषा :**

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(i) **सोसाइटी** का अभिप्राय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी से होगा।

(ii) **विद्यालय** का अभिप्राय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से होगा।

(iii) **अध्यक्ष** का अभिप्राय सोसाइटी का अध्यक्ष होगा, 'उपाध्यक्ष' का अभिप्राय सोसाइटी का उपाध्यक्ष होगा।

(iv) **निदेशक** का अभिप्राय विद्यालय का निदेशक होगा।

3. **सोसाइटी के प्राधिकारी**

सोसाइटी के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; यथा :-

(i) सोसाइटी

(ii) विद्या परिषद्

(iii) वित्त समिति

(iv) ऐसी कोई अन्य स्थायी समिति या समितियां या उप-समितियां जो अध्यक्ष या समिति अपने एक या अधिक कार्यों को करने के लिए स्थापित करे।

4. **सोसाइटी के सदस्य :**

क) सोसाइटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) अध्यक्ष : अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे।

(ii) वित्त सलाहकार : वित्त सलाहकार की नियुक्ति भारत सरकार करेगी।

(iii) दो नाट्यशाला विशेषज्ञ, जिसमें से एक व्यक्ति संगीत नाटक अकादमी के कार्यपालक बोर्ड द्वारा मनोनीत किया जाएगा और दूसरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी के शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामिका में से विद्यालय की समिति द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(भारत सरकार, संस्कृति विभाग द्वारा उनके तारीख 2.3.88 के पत्र संख्या एफ 17-25/87/- सी.एच.4 द्वारा संशोधन)

(iv) संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(v) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(vi) फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान का निदेशक।

(vii) निम्नलिखित पद्धति से भारत सरकार द्वारा मनोनीत चार सदस्य:-

क) एक प्रतिष्ठित नाटककार जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तथा इस विद्यालय के निदेशक के परामर्श से मनोनीत किया जाएगा।

ख) एक दूरदर्शन विशेषज्ञ जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से मनोनीत किया जाएगा।

ग) संस्कृति के क्षेत्र में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सोसाइटी के अध्यक्ष तथा विद्यालय के निदेशक के परामर्श से मनोनीत किए जाएंगे।

(viii) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यापक-वर्ग का एक प्रतिनिधि।

(ix) सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सहयोजित विद्यालय के भूतपूर्व स्नातकों (भूतपूर्व छात्रों) में से एक सदस्य।

(x) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक सोसाइटी का पदेन सदस्य सचिव होगा।

ख) उपाध्यक्ष का चयन सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा उसका कार्यकाल चार वर्ष के लिए या उसकी सोसाइटी की सदस्यता की तारीख तक, जो भी अवधि पहले हो, होगा।

5. **सदस्यों की नामावली**

सोसाइटी सदस्यों की नामावली रखेगी और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य नामावली पंजी में हस्ताक्षर करेगा और उसमें अपना नाम, व्यवसाय तथा पता लिखेगा। कोई भी व्यक्ति तब तक सदस्य नहीं समझा जाएगा या सदस्य के किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने पूर्वोक्त नामावली में अपने हस्ताक्षर न किए हों। यदि सोसाइटी का कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है तो उसे अपने नए पते की सूचना सदस्य सचिव को देनी होगी जो इसके बाद उस सदस्य का नया पता सदस्यों की नामावली में दर्ज करेगा परन्तु यदि वह अपने नए पते की सूचना देने में विफल रहता है तो सदस्यों की नामावली में दिया गया पता ही उसका पता माना जाएगा।

6. **सदस्यता की अवधि**

(i) यदि कोई व्यक्ति अपने धारित पद या नियुक्ति के कारण सोसाइटी का सदस्य बनता है तो उसकी सोसाइटी की सदस्यता उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी। अन्य सदस्य चार वर्ष तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनको मनोनीत, नियुक्त, चुनने या सहयोजित करने वाले प्राधिकारी उनकी सदस्यता पहले समाप्त नहीं कर देते जिसे ऐसा करने का अधिकार होगा, यह बात वित्त समिति तथा शिक्षा परिषद की सदस्यता और अध्यक्ष या सोसाइटी द्वारा अपने एक या अधिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए स्थापित की जाने वाली किसी अन्य स्थायी समिति या उप-समिति की सदस्यता पर भी लागू होगी।

(ii) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने धारित पद या नियुक्ति के कारण सोसाइटी का सदस्य है, सोसाइटी की किसी बैठक में भाग लेने से रोका जाए तो उसे उस सोसाइटी की बैठक में, उसका स्थान लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त तथा प्राधिकृत करने

की छूट होगी और ऐसे प्रतिनिधि को केवल उस बैठक में सोसाइटी के सदस्य के सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

7. पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी निर्गामी सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। निर्गामी उपाध्यक्ष उस कार्यालय के लिए और आगे चयन के लिए पात्र होगा।

8. पदेन सदस्य को छोड़कर सोसाइटी का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं बना रहेगा यदि-

(i) वह त्यागपत्र दे देता/देती है, अस्वस्थचित हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध में उसका दोषसिद्ध हो जाता है।

या

(ii) अध्यक्ष की इजाजत के बिना सोसाइटी की तीन लगातार बैठकों में भाग नहीं लेता/लेती है।

(iii) निदेशक तथा अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि को छोड़कर वह सोसाइटी में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता/करती है।

9. सोसाइटी की सदस्यता से त्यागपत्र अध्यक्ष को दिया जाएगा और ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सोसाइटी की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद ही लागू होगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। ऊपर निर्दिष्ट कारणों में से किसी भी कारण से सोसाइटी की सदस्यता में कोई रिक्ति ऐसे सदस्य को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी और इस रिक्ति पर नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति केवल उस तारीख तक पद धारण करेगा जिस तारीख तक वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, यह पद पूर्वोक्त अनुसार रिक्त न किए जाने की स्थिति में धारण करता।

10. रिक्ति के होने पर भी और उसके सदस्यों में से किसी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में कोई त्रुटि के होने पर भी सोसाइटी काम करेगी और सोसाइटी का कोई भी कार्य या कार्यवाही उसमें कोई रिक्ति या उसके

सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन में कोई त्रुटि होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

11. **बैठकें :**

(i) सोसाइटी की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय, तारीख या स्थान पर होगी परन्तु शर्त यह है कि बैठकों के बीच चार कैलेण्डर माह से अधिक समय का अन्तराल न हो।

(ii) अध्यक्ष जब भी उचित समझे सोसाइटी की विशेष बैठक बुला सकता है परन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष न्यूनतम पांच (5) सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलाए जाने के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए सोसाइटी की बैठक बुलाएगा।

(iii) इस नियम के आधीन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष करेगा।

12. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो इन नियमों के आधीन सोसाइटी की सभी बैठकें निदेशक के हस्ताक्षर के आधीन सूचना देकर बुलाई जाएंगी जो सोसाइटी का पदेन सदस्य सचिव होगा।

13. सोसाइटी की बैठक बुलाने संबंधी प्रत्येक सूचना में ऐसी बैठक बुलाए जाने की तारीख, समय तथा स्थान का उल्लेख किया जाएगा और बैठक के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम पूरे 21 दिन पहले सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को उस नोटिस की तामील की जाएगी। परन्तु शर्त यह है कि अध्यक्ष रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से यदि वह उचित समझे तो अल्प सूचना पर विशेष बैठक बुला सकता है।

14. (i) यदि सोसाइटी की किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उक्त बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा।

(ii) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सोसाइटी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उस अवसर पर उपस्थित सदस्यों में से चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।

15. सोसाइटी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्य सोसाइटी की प्रत्येक बैठक का कोरम होंगे।

16. सोसाइटी की बैठक में सभी विवादग्रस्त मामले मत द्वारा निर्धारित किए

जाएंगे। अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा और सोसाइटी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।

17. कोई ऐसा कार्य जो सोसाइटी के लिए किया जाना आवश्यक हो उसके सभी सदस्यों के बीच संकल्प का मसौदा परिचालित करके किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित किया गया तथा सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित कोई भी संकल्प इस प्रकार मान्य तथा बाध्यकारी होगा जैसे कि वह सोसाइटी की बैठक में पारित किया गया है।

18. (i) अध्यक्ष ऐसा कोई भी मामला केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिए भेज सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार भेजे जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है और ऐसा निर्णय सोसाइटी के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) अध्यक्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोसाइटी की किसी बैठक में भाग लेने और सोसाइटी के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को किसी बैठक में किसी मामले पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

19. **उपविधियां**

(i) सोसाइटी को अपने कार्यों के प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए सोसाइटी के संस्था ज्ञापन तथा नियमों एवं विनियमों के अनुरूप उपविधियां बनाने तथा तैयार करने और उनमें समय-समय पर परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन तथा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ii) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन उपविधियों में निम्नलिखित का प्रावधान होगा :-

क) सोसाइटी का बजट प्राक्कलन तैयार करना, व्यय मंजूर करना, संविदाएं तैयार करना तथा निष्पादित करना, सोसाइटी की निधियों का निवेश करना, ऐसे निवेश या विक्रय या परिवर्तन और लेखा तथा लेखा परीक्षा।

ख) उनकी समय-समय पर गठित किए जाने वाले सलाहकार बोर्ड या समितियों, स्थायी तथा अन्य समितियों की शक्तियां, कार्य तथा कार्य संचालन और उनके सदस्यों का कार्यकाल।

ग) सोसाइटी के अध्यापक वर्ग, तकनीकी सदस्यों, प्रशासकीय तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी कार्यविधि।

घ) सोसाइटी के कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें एवं अवधि, परिलब्धियां, भत्ते, अनुशासन नियम तथा अन्य सेवा शर्तें।

ङ) छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों (फेलोशिप) पुनश्चर्या एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रमों, ग्रीष्मकालीन एवं अन्य विद्यालयों, केन्द्रों, अनुसंधान योजनाओं एवं परियोजनाओं, पुस्तकालय, नटाली कंपनियों, कार्यशाला, हॉल एवं होटलों, प्रयोगशाला, भण्डार एवं पोशाक तथा सामग्री अनुभाग का नियंत्रण करने संबंधी निबन्धन एवं शर्तें।

च) सोसाइटी के कार्यक्रम, अनुसंधान योजनाएं तथा परियोजनाएं तैयार करना।

छ) वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण तैयार करना।

ज) सोसाइटी तथा विद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने तथा उनके उचित प्रशासन के लिए आवश्यक अन्य विषय।

झ) नाटक, प्रदर्शनी, अनुवाद, प्रकाशन, त्यौहार, दीक्षान्त समारोह अन्य कार्यों आदि का निर्माण एवं प्रदर्शन।

ञ) सोसाइटी के सदस्यों, अन्य अतिथि कलाकारों तथा अन्य आगंतुकों के लिए भत्ते तथा अन्य शर्तें।

ट) निधियों, पेशगियों की स्वीकृति आदि की स्थापना तथा प्रबन्ध।

ठ) सोसाइटी तथा विद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कल्याण।

20. इन नियमों तथा विनियमों के आधीन सोसाइटी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति

या निकाय को जिसे सोसाइटी अपनी ओर से प्राधिकृत करे सोसाइटी एवं विद्यालय का कार्य करने के लिए सभी श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने, बजट प्रावधानों के आधीन उनके पारिश्रमिक की राशि नियत करने तथा उनके कर्तव्य निर्धारित करने का अधिकार होगा।

21. सोसाइटी विद्यालय के निदेशक या उसके किसी सदस्य और या सोसाइटी के किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है और ऐसे कर्तव्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे और ऐसी सीमाएं भी निर्धारित कर सकती है जिनके अन्तर्गत उक्त अधिकारों को प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाए।

22. ऐसी सूचना प्राप्त करने के हकदार किसी व्यक्ति को सोसाइटी की किसी बैठक की सूचना देने में आकस्मिक चूक या उस व्यक्ति को ऐसी सूचना प्राप्त न होने से उस बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

अध्यक्ष की शक्तियां

23. सोसाइटी एक संकल्प से उसके अध्यक्ष को इस शर्त के आधीन कार्य संचालन के लिए अपनी ऐसी शक्तियां, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के आधीन अध्यक्ष की कार्रवाई की रिपोर्ट जानकारी के लिए सोसाइटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

24. अध्यक्ष लिखित रूप में सोसाइटी के सदस्यों में से किसी सदस्य या सोसाइटी के किसी अन्य कर्मचारी को अपनी ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

निदेशक के कार्य तथा शक्तियां

25. सोसाइटी द्वारा विद्यालय के निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे परन्तु शर्त यह है कि प्रथम निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार उपयुक्त तथा उचित समझे।

26. सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले किसी निदेश के आधीन निदेशक सोसाइटी का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निदेश एवं मार्गदर्शन के आधीन सोसाइटी तथा विद्यालय के कार्य के उचित प्रशासन और सोसाइटी के लेखा एवं बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु शर्त यह है कि निदेशक सोसाइटी की सहमति से अपनी शक्तियां तथा कार्य इन नियमों के आधीन नियुक्त या स्थापित किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

27. (i) निदेशक अध्यक्ष के निदेश के आधीन, जब भी आवश्यक समझे, सोसाइटी और उसकी किसी समिति या उपसमिति की बैठकें बुला सकता है।

(ii) निदेशक सोसाइटी की बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड एवं कार्यवृत्त रखेगा या रखवाएगा और उनकी प्रतियां केन्द्र सरकार को भेजेगा। निदेशक सोसाइटी तथा उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा पारित संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करेगा। निदेशक सोसाइटी के सभी रिकार्ड सोसाइटी के कार्यालय में या सोसाइटी द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर रखेगा या रखवाएगा।

(iii) यदि सोसाइटी का निदेशक या कोई सदस्य सोसाइटी द्वारा इस संबंध में पारित संकल्प से इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह सोसाइटी की ओर से सभी संविदाएं, विलेख तथा अन्य लिखित निष्पादित करेगा।

(iv) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) की धारा 6 के प्रयोजन से निदेशक को सोसाइटी का प्रधान सचिव समझा जाएगा और सोसाइटी किसी पर या सोसाइटी पर कोई भी विद्यालय के निदेशक के नाम से वाद चलाया जा सकता है।

(v) विद्यालय में अदा की गई किसी भी धनराशि के लिए सोसाइटी या विद्यालय द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति या निदेशक की रसीद ऐसी धनराशि के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

28. (i) निदेशक के पास उसके प्रभार के आधीन सभी मामलों में बनाए

गए इन नियमों एवं विनियमों और उपविधियों में उसको सौंपी गई या सोसाइटी द्वारा उसको प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे।

(ii) सोसाइटी का प्रधान सचिव और विद्यालय का निदेशक होने के नाते यदि निदेशक यह समझता है कि सोसाइटी या विद्यालय के मामले में कोई ऐसी आपात स्थिति पैदा हो गई है जिसके लिए तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित है तो वह यथोचित कार्यवाही कर सकता है और पुष्टि के लिए उसकी रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा जिसे सामान्य तौर पर उस मामले पर कार्यवाही करनी होती। परन्तु शर्त यह है कि यदि वह प्राधिकारी निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करता है तो वह उस मामले को सोसाइटी के अध्यक्ष को भेजेगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

29. निदेशक सोसाइटी के सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेगा और ऐसा पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण करेगा जो बनाए जाने वाले नियमों तथा उपविधियों के आधीन आवश्यक हों।

30. निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसाइटी के आधीन सभी शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण, पुनश्चर्या, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, विद्यालयों तथा अन्य कार्यकलापों में तालमेल स्थापित करे और उनका पर्यवेक्षण करें।

वित्तीय सलाहकार

31. भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार सोसाइटी का वित्तीय सलाहकार होगा।

32. सामान्यतः वित्तीय सलाहकार सोसाइटी की सम्पत्तियों तथा निवेशों के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी मामलों, वार्षिक प्राक्कलन तथा लेखा विवरण तैयार करने, ऐसे प्रयोजनों के लिए निधियों का व्यय जिनके लिए ऐसी निधियां स्वीकृत एवं आवंटित की गई है, उनके मामले में सोसाइटी को परामर्श देता है।

वित्त समिति

33. वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) वित्तीय सलाहकार -

वित्तीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) भारत सरकार का एक मनोनीत व्यक्ति यह आवश्यक नहीं है कि वह सोसाइटी के सदस्यों में से हो।

(iii) सोसाइटी के दो सदस्य

(iv) निदेशक

34. (i) वित्त समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

क) सोसाइटी के लेखाओं और बजट प्राक्कलनों की संवीक्षा करना और सोसाइटी को सिफारिशें करना।

ख) मुख्य कार्यों तथा क्रयों के कारण नये व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना तथा सिफारिशें करना जो सोसाइटी द्वारा विचार किए जाने से पहले वित्त समिति की राय के लिए भेजे जाएंगे।

ग) समय समय पर सोसाइटी के वित्त की समीक्षा करना और जहां आवश्यक हो लेखा परीक्षा करना ।

घ) पुनर्विनियोजन विवरणों तथा लेखा टिप्पणियों की संवीक्षा करना और उन पर सोसाइटी को सिफारिशें करना।

ङ) सोसाइटी के कार्यों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य वित्तीय मामले के संबंध में सोसाइटी को परामर्श देना और सिफारिशें करना।

च) वर्ष के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना।

(ii) सोसाइटी द्वारा वित्त समिति की पूर्वानुमति के बिना बजट में प्रावधान किए गए व्यय से भिन्न कोई अन्य व्यय नहीं किया जाएगा।

शिक्षा परिषद

35. सोसाइटी एक शिक्षा परिषद नियुक्त करेगी जिसके निम्नलिखित 11 सदस्य होंगे :

i) निदेशक अध्यक्ष

ii) चार सक्रिय नाट्यशाला विशेषज्ञ सोसाइटी द्वारा मनोनीत

iii) सोसाइटी के सदस्य से भिन्न सोसाइटी द्वारा मनोनीत

एक भूतपूर्व विद्यार्थी

iv) तीन मुख्य विषयों के तीन अध्यापक (अर्थात रंगशिल्प, नाटक साहित्य तथा अभिनय) दो वर्ष की अवधि के लिए संकाय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ऐसा नामांकन अध्यापकों द्वारा अपने सम्बद्ध विषय ग्रुपों में से किया जाएगा। परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार मनोनीत कोई भी अध्यापक दो क्रमिक अवधियों से अधिक समय तक सेवा नहीं करेगा यह भी शर्त है कि तदनुसार विभागों के विस्तार तथा शिक्षा परिषद में शामिल किए गए अतिरिक्त प्रतिनिधियों के मामले में वही सिद्धान्त लागू किया जाए (भारत सरकार द्वारा अपने तारीख 19.2.84. के पत्र संख्या एफ 17-3-84-सी.एच. 4 के द्वारा अनुमोदित संशोधन)

v) चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए एक विद्यार्थी प्रतिनिधि

vi) सोसाइटी द्वारा मनोनीत एक शिक्षाविद्

36. शिक्षा परिषद् के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

i) विद्यालय के पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण तैयार करना तथा उनमें परिशोधन करना।

ii) परीक्षाएं आयोजित करने के लिए व्यवस्थाएं करना; परीक्षक, परिनियामक, सारणीकार आदि नियुक्त करना और परिणाम घोषित करना।

iii) डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र, शैक्षिक सम्मान या खिताब प्रदान करना और उनको वापस लेना।

iv) छात्रवृतियां, अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप) तथा अन्य पुरस्कार प्रदान करना।

v) ऐसे अन्य मामले जो विद्यालय के उद्देश्यों तथा शैक्षिक विषयों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हों।

लेखा तथा लेखापरीक्षा

37. (i) सोसाइटी उचित लेखा तथा अन्य संगत रिकार्ड रखेगी और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फार्म में तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

(ii) सोसाइटी के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा केन्द्र सरकार के निदेश के अनुसार की जाएगी और सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय सोसाइटी द्वारा देय होगा।

(iii) प्रतिवर्ष लेखापरीक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित सोसाइटी के लेखे उन पर लेखापरीक्षित रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को लेखा वर्ष के समापन के 9 महीने के अन्दर संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में वार्षिक रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियम 19 (ii) (छ) हर वर्ष अग्रेषित की जाएगी।

विविध

38. (i) विद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी प्रजाति, धर्म, पंथ, जाति या वर्ग के हों और प्रवेश देने या सदस्यों के शिक्षण, प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा अनुसंधान कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने में धार्मिक विश्वास या व्यवसाय के संबंध में या किसी प्रकार से किसी अन्य संबंध में कोई परीक्षा या शर्त नहीं लगाई जाएगी।

(ii) सोसाइटी कोई ऐसा उपकार स्वरूप दान स्वीकार नहीं करेगी जो उसकी राय में सोसाइटी की भावना और उद्देश्य के विरुद्ध शर्तें या बाध्यताएं लगाता हो।

(iii) सोसाइटी अपने द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विदेशी राष्ट्रिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीटें आरक्षित करेगी।

39. केन्द्रीय सरकार सोसाइटी तथा विद्यालय के कार्य तथा प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक या अधिक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से उसके कार्यों, की जांच कर सकती है तथा उस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है ऐसी रिपार्ट और उस पर सोसाइटी या विद्यालय की टीका टिप्पणियां प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ऐसी कार्यवाही कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह रिपोर्ट में विचारित किसी मामले के संबंध में आवश्यक समझे और उक्त निदेश यथास्थिति सोसाइटी या विद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

40. केन्द्रीय सरकार सोसाइटी या विद्यालय को ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह सोसाइटी या विद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए और उनका उचित एवं प्रभावी कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे। यथस्थिति सोसाइटी या विद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

41. किसी भी प्रकार प्राप्त की गई सोसाइटी की आय तथा संपत्ति केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित शर्तों एवं सीमाओं के अधीन संस्था के ज्ञापन में निर्धारित किए गए सोसाइटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सोसाइटी की आय तथा सम्पत्ति का कोई भी भाग ऐसे व्यक्तियों जो उस सोसाइटी के सदस्य हैं, या किसी भी समय सोसाइटी के सदस्य रहे हैं, या उनमें से किसी व्यक्ति को या उनके माध्यम से या उनमें से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को लाभांशों, बोनस या अन्यथा किसी भी प्रकार लाभ के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदा या हस्तान्तरित नहीं की जाएगी परन्तु शर्त यह है कि इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात सोसाइटी के किसी सदस्य से या किसी अन्य व्यक्ति को सोसाइटी के लिए उसकी सेवा के बदले में सद्भाविक रूप से पारिश्रमिक या यात्रा भत्तों, विराम करने या अन्य समरूप प्रभारों की अदायगी करने से वारित नहीं करेगी।

42. सोसाइटी का बैंकर कोई भी अनुसूचित बैंक होगा। सभी निधियां बैंक में सोसाइटी के खाते में अदा की जाएगी और उसे ऐसे अधिकारियों द्वारा, जिन्हें सोसाइटी द्वारा इस संबंध में विधिवत् शक्तियां दी जाए, हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर किए गए चेक के माध्यम से आहरण के सिवाय आहरण नहीं किया जाएगा।

नियमों तथा विनियमों में संशोधन

43. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का 21 के उपबन्धों के आधीन सोसाइटी केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से उसके उस प्रयोजन में परिवर्तन तथा विस्तार कर सकती है जिसके लिए उसे स्थापित किया गया था।

44. सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों में केन्द्र सरकार की मंजूरी से किसी भी समय इस प्रयोजन के लिए विधिवत बुलाई गई तथा आयोजित सोसाइटी की किसी बैठक में उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

45. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का 21 के अनुसार उस संबंध में केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करके सोसाइटी को भंग किया जा सकता है।

46. (i) सोसाइटी की चल तथा अचल, सम्पति, उसकी आय और सोसाइटी के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेश, नियंत्रण तथा प्रशासन सोसाइटी में निहित होगा जिसे सोसाइटी के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन होने वाले पूर्वोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी कार्य करने, मामले, विषय तथा विलेख निष्पादित करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा और सोसाइटी के संस्था ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों द्वारा या उनके आधीन अधिरोपित सीमाओं के आधीन सम्पति अर्जित करने तथा उसका निपटान करने, धन उधार देने की प्रतिभूति सहित या उसके बिना ऋण लेने तथा सभी नियुक्तियां करने की शक्ति होगी।

(ii) सोसाइटी के विघटन पर उसके समस्त ऋण एवं देयताएं के समाधान के बाद किसी प्रकार की कोई भी सम्पति शेष रह जाए

तो उसे सोसाइटी के सदस्यों में से किसी भी सदस्य को अदा नहीं किया जाएगा या उनमें विभाजित नहीं की जाएगी परन्तु सदस्यों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे सोसाइटी के विघटन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित या परोक्षी द्वारा बहुमत से यह निर्धारित करें कि ऐसी सम्पति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) की धारा। में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी।

47. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1980 का 21) (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) जिसे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू किया गया है, इस सोसाइटी पर लागू होगा।

48. प्रत्येक वर्ष में एक बार, सोसाइटी के नियमों के अनुसार जिस दिन सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक होती है उसके उत्तरवर्ती चौदहवें दिन या उससे पहले या जनवरी के महीने में सोसाइटी के रजिस्ट्रार को उस शासी निकाय के सदस्यों के नामों, पतों, व्यवसाय तथा पदनामों की सूची दायर करेगा जिन्हें सोसाइटी के कार्यों का तत्कालीन प्रबंध सौंपा गया है।

हम, सोसाइटी के निम्नलिखित सदस्य आज तारीख।। दिसम्बर 1975 को नई दिल्ली में यह प्रमाणित करत हैं कि उपयुक्त कागजात सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों की सही प्रति है।

क्रसं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री एस. एम. एच. बर्नी	सचिव,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	ह0/- एस. एम. एच. बर्नी
2.	डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	संयुक्त शिक्षा सलाहकार संसंति विभाग नई दिल्ली	ह0/- डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
3.	श्री बलवन्त गार्गी	विभागाध्यक्ष भारतीय थियेटर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़	ह0/- बलवन्त गार्गी